इलाहाबाद विश्वविद्यालय / UNIVERSITY OF ALLAHABAD
राजभाषा अनुभाग / RAJBHASHA SECTION
कक्ष संख्या 12-13, प्रथम तल, तिलक भवन, सीनेट परिसर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
प्रयागराज, ईमेल [illegible] दूरभाष/मो. नं. 7635990036

पत्रांक:- रा.भा./रा.अधि.अनु./2025-26/620

दिनांक : 22 अगस्त, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राजभाषा अधिनियम के अधीन प्रख्यापित नियमों के अनुपालन हेतु जांच बिंदुओं का निर्माण/उनका प्रभावी कार्यान्वयन विषयक।

राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम संख्यांक 19) (समय-समय पर यथा संशोधित) सपठित उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. ई-11/15/2025-रा.भा.प्र. दिनांक 16 जुलाई, 2025 का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित विषयों पर जांच बिन्दु बनाने और उनका प्रभावी कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया गया है। जांच बिन्दु निम्नवत है:-

1. सामान्य आदेश तथा अन्य कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी करना;
2. हिंदी में प्राप्त पत्रों आदि के उत्तर हिंदी में देना;
3. 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्र आदि का अनुवाद उनके साथ संलग्न करना;
4. रजिस्टरों के शीर्षक एवं शीर्षनाम द्विभाषी रूप में लिखना;
5. लिफाफों पर पते हिंदी में लिखना;
6. फाइल कवरों पर विषय द्विभाषी रूप में लिखना;
7. यूनिकोड समर्थित सॉफ्टवेयर युक्त कंप्यूटरों की खरीद;
8. फार्मों, कोडों, मैनुअल, प्रक्रिया साहित्य और सरकारी राजपत्र की सामग्री का द्विभाषी प्रकाशन;
9. रबड़ की मोहरें, नामपट्ट, सूचना पट्ट आदि द्विभाषी रूप में बनाना;
10. सेवा पंजिकाओं (Service Books) में प्रविष्टियां हिंदी में करना;
11. विज्ञापनों का द्विभाषी प्रकाशन;
12. वेबसाइट का द्विभाषीकरण;
13. नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड द्विभाषी रूप में जारी करना;
14. हिंदी पुस्तकों की खरीद;
15. हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी की जिम्मेदारी।

आशीष

(प्रो. आशीष खरे)
कुलसचिव,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

पत्रांक:- रा.भा./रा.अधि.अनु./2025-26/

दिनांक : 22 अगस्त, 2025।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित -:

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष/समन्वयक/प्रशासनिक प्रमुख;
2. आई.सी.टी. सेल- वेबसाइट पर अपलोड हेतु;
3. कुलपति के सचिव को कुलपति महोदया को सादर सूचनार्थ।

प्रवीण श्रीवास्तव
22.08.2025

(प्रवीण श्रीवास्तव)
हिन्दी अधिकारी, राजभाषा,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

ICT cell
28/8/25